देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/57 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 28 नवम्बर 2020

भाग-2

अब गरजेगी राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता के अवैध निर्माण पर जे.डी.ए. की जे.सी.बी.!!!

ज़ोन-8 की रिपोर्ट से खुलासा!!! फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर बना हुआ है यह अवैध रिसोर्ट/होटल

जे.डी.ए. ज़ोन-8 में स्थित महाराजा किशन सिंह नगर में संचालित अवैध राज आंगन रिसोर्ट/हवेली रलावता

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा / प्र.शा. / प्र0अ0 / जोन–8 / 2019 / डी– दिनांक :

रिपोर्ट – अतिक्रमण. / अवैध निर्माण

(निजी खातेदारी / सहकारी समिति की अनुमोदित योजनाओं हेतु प्रपत्र)

आज दिनांक 25.10.2020 को निरीक्षण के दौरान पाया कि श्री .... ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना महाराजा किशन सिंह नगर के जविप्रा स्वामित्व की ~~सड़क~~ / सुविधा / सेटबेक / अन्य रहन का भूखण्ड .... क्षेत्रफल 3356.70 Sqyds facility व 12240.20 वर्ग. Group Housing. पर अतिक्रमण / अवैध निर्माण किया हुआ है। जिसका विवरण तथा नजरी नक्शा निम्नानुसार है :–

{अतिक्रमण का विवरण}

निजी खातेदारी योजना महाराजा किशन सिंह नगर के सुविधा क्षेत्र पर टीनशेड युक्त कमरे बनाकर एवं शेष भूमि को पार्किंग हेतु, उपयोग में लेने हेतु अतिक्रमण कर लिया है। साथ ही अपने स्वामित्व के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जो जविप्रा में रहन में है पर मैरिज गार्डन रिसोर्ट बनाकर व्यवसायिक उपयोग, बगैर लीज डीड-नक्शा अनुमोदन के, कर रहा है जो अवैध है।

नजरी नक्शा

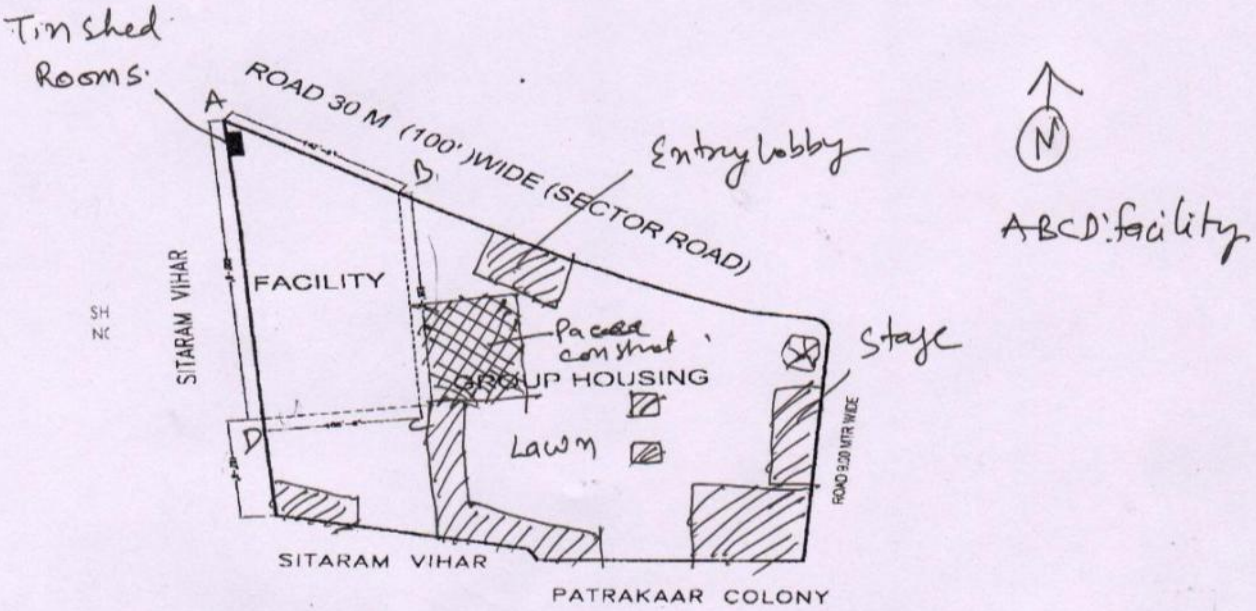

27.10.2020
कनि0 अभियन्ता सहायक नगर नियोजक प्रवर्तन अधिकारी

ज़ोन-8 की रिपोर्ट

Jaipur Development Authority (J D A) , Deputy Commissioner , (Zone-III) , Deputy Commissioner (Zone-08)	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - 8	Transferred	02-Nov-2020	प्रकरण अतिक्रमण से सम्बंदित है मोके पर सुविधा क्षेत्र पर अस्थाई झोपडिया बनाकर व शेष रिक्त भूमि पर पाकिंग कर अतिक्रमण किया हुआ है इसके अतिरिक्त जविप्रा के रहन युक्त ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर रिसोर्ट /विवाह स्थल बनाकर ववयासिक उपयोग में लिया जा रहा है जो अवैध है. (वर्तमान विषय :- दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना से नया विषय :- अतिक्रमण हटाना एवं वर्तमान पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 से नया पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 एवं वर्तमान विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र :- ज़ोन 8 से नया विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र:-ज़ोन 8 में परिवर्तन किया गया)
Jaipur Development Authority (J D A) , Deputy Commissioner , (Zone-III) , Deputy Commissioner (Zone-08)	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - 8	Transferred	09-Nov-2020	कृपया सलग्न रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही करे.(वर्तमान विषय :- दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना से नया विषय :- अतिक्रमण हटाना एवं वर्तमान पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 से नया पता :- जिला- जयपुर , शहर- जयपुर ग्रेटर, वार्ड- वार्ड न. 41 एवं वर्तमान विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र :- ज़ोन 8 से नया विभाग सम्बंधित कार्य क्षेत्र:-ज़ोन 8 में परिवर्तन किया गया)
. . .	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (EO) , Enforcement Officer - 8	Allocated	09-Nov-2020	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है

इस अवैध निर्माण के सम्बन्ध में हमारे परिवाद पर जे.डी.ए द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट

ज़ोन-8 की रिपोर्ट से खुलासा!!!महाराजा किशन सिंह नगर की फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर चल रहा अवैध रिसोर्ट " राज आंगन/होटल रलावता"

हमारे द्वारा महाराजा किशन सिंह नगर की फेसेलिटी और ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर चल रहे अवैध रिसोर्ट " राज आंगन/होटल रलावता" के मामले को राज्य के मुख्य सचिव से लेकर जे.डी.ए. ज़ोन-8 के प्रवर्तन अधिकारी तक के निजी संज्ञान में लाया गया,तत्पस्च्यात जे.डी.ए द्वारा की गयी आनन-फानन कार्यवाही में ज़ोन से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में चिन्हीकरण रिपोर्ट प्राप्त की गयी|चिन्हीकरण रिपोर्ट में ज़ोन के AEN द्वारा खुलासा किया गया कि महाराजा किशनसिंह नगर के सुविधा क्षेत्र की 3356.70 वर्ग गज जमीन पर टीन शेड/झोपड़ियाँ डालकर एवं शेष जमीन पर पार्किंग कर कब्ज़ा किया गया है साथ ही जे.डी.ए. में ही रहन रखी हुई 12240वर्ग गज ग्रुप हाउसिंग की जमीन पर बिना लीज-डीड,नक़्शे अनुमोदन के रिसोर्ट/मैरेज गार्डन का संचालन किया जा रहा है जो कि अवैध है|अग्रीम कार्यवाही प्रवर्तन शाखा द्वारा की जानी है|

9 नवम्बर से पत्रावली जोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह के पास लंबित|

गौरतलब है कि उक्त पत्रावली दिनांक 09/11/2020 से ज़ोन-8 के प्रवर्तन अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह के पास लंबित है,उनसे इस विषय में की गयी वार्ता के अनुसार उन्होंने बताया कि मामले में शीघ्र ही उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी|

किसी भी कीमत पर नहीं बचा सकते इस अवैध निर्माण को टूटने से अवैध रिसोर्ट संचालक के मददगार|

ज्ञात हो कि इस अवैध रिसोर्ट का संचालन महाराजा किशनसिंह नगर योजना काटने वाले निजी विकासकर्ता द्वारा किया जा रहा है,जिसकी स्थानीय प्रशासन और वर्तमान सरकार में गहरी पैठ है|अवैध रिसोर्ट संचालक के मददगार तो यहाँ तक कहते फिर रहे है कि इस मामले में जे.डी.ए. हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,ज्यादा होगा तो मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन करवा देंगे|अवैध रिसोर्ट संचालक के मददगारों के इस दंभ को देखते हुए तो हम यही कह सकते है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है परन्तु पराजित नहीं|देखते है बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाती है|हमें हमारी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है,एक ना एक दिन तो जे.डी.ए. की जे.सी.बी. इस रिसोर्ट के अवैध निर्माण पर गरज कर ही मानेगी|

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश;सुविधा क्षेत्र,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों से तुरंत हटाये जाए अवैध निर्माण/अतिक्रमण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मोनिटरिंग कमिटी का गठन

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्व प्रेरित मामले डी.बी. सिविल रिट पिटीशन 7688/2019 में दिए गए अंतरिम निर्णय में जे.डी.ए.,नगर निगम सहित अन्य सभी जिम्मेदार विभागों को तत्काल प्रभाव से निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा काटी गयी कोलोनियों में आम जन की सुविधा हेतु छोड़े गए सुविधा क्षेत्रों,पार्कों,सड़कों,फुटपाथों व अन्य सार्वजानिक स्थानों पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किये है|साथ ही ऐसे मामलों में प्रभावी मोनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटी का गठन कर, हर माह मोनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए है|

जवाब मांगते सवाल?

1. जे.डी.ए. की फेसेलिटी की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है?उसे सील किया जाता है या फिर ध्वस्त किया जाता है?क्या प्रवर्तन शाखा अवैध रिसोर्ट संचालक को धारा 72 का नोटिस देगी?
2. इस योजना की ग्रुप हाउसिंग की जो संपत्ति जे.डी.ए.के पास रहन रखी हुई है उस पर चल रहे अवैध रिसोर्ट पर जे.डी.ए. क्या कार्यवाही करेगा?जिस प्रयोजनार्थ यह जमीन रहन रखी गयी थी क्या वह प्रयोजन विकासकर्ता द्वारा पूर्ण कर लिया गया है?
3. शहर की प्रमुख कॉलोनी में चल रहे इस अवैध रिसोर्ट पर आज दिन तक,जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ी?क्या आज से पहले किसी जागरूक नागरिक द्वारा इस अवैध निर्माण की शिकायत नहीं की गयी थी?या फिर उसे दबा दिया गया था?
4. जे.डी.ए की प्रवर्तन शाखा द्वारा इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की डेडलाईन क्या निर्धारित की गयी है?
5. कहीं जे.डी.ए. प्रवर्तन के अधिकारी श्री श्रीचंद सिंह इस अवैध रिसोर्ट को राहत देने की फिराक में तो नहीं है?
6. राज्य के मुख्य सचिव तक इस मामले की जानकारी होने के बावजूद क्या अवैध रिसोर्ट संचालक अपने रसुखों के दम पर इस अवैध रिसोर्ट को बचाने में कामयाब हो पायेगा?
7. हमारे न्याय का इकबाल बड़ा या रसूखदारों का रसूख?